

डिक्री बमुकदमें ईत्तदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 71/2025

1. करनी सिंह पुत्र श्री बनवारी लाल जाति जाट निवासी चक 3 एमजेडी ढाणी रतनपुरा तहसील संगरिया।
2. श्रीकान्त पुत्र श्री बनवारी लाल जाति जाट निवासी चक 3 एमजेडी ढाणी रतनपुरा तहसील संगरिया।

वादीगण

बनाम

1. श्री बनवारी लाल पुत्र श्री सरवनराम जाति जाट निवासी चक 3 एमजेडी ढाणी रतनपुरा तहसील संगरिया।  
तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गगन मिढा वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 3 एम.जे.डी. के खाता संख्या 27/18 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 मे प्रतिवादी संख्या 1 बनवारी लाल पुत्र सरवनराम के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी संख्या 1 करनी सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज..........नल..........मुब्लिक..........निल..........बाबत..........निल..........खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..........  
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....1-4-2025.....को जारी किया गया।

(जय कौशिक)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया